बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

विभागीय पत्रांक–प्र06–विविध–61/2025–2141 दिनांक–28.08.2025 द्वारा दिनांक–29.08.2025 को Zero Office Day के तहत विशेष निरीक्षण अभियान तथा दिनांक–02.09.2025 से 09.09.2025 तक नियमित निरीक्षण करने का स्पष्ट निदेश दिया गया था। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लाभुकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। निरीक्षण अभियान के उपरान्त "Zero Office Day Inspection : Block-wise Discrepancy Report (29.08.2025 to 10.09.2025)" की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मो0 साजिद आलम, आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रखंड अन्तर्गत आने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह के लिए कुल–46 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 15 लाभुकों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किया जाना तथा 67 स्टॉक में अन्तर संबंधित शिकायत/मामले दर्ज हैं।

अपने क्षेत्र के लाभुकों को ससमय निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए मो0 आलम सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। खाद्यान्न वितरण एवं स्टॉक के संधारण में पायी गयी अनियमितता यह दर्शाता है कि मो0 आलम द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। उक्त तथ्य यह भी इंगित करता है कि मो0 आलम द्वारा अपने मूल कर्त्तव्य यथा–जन वितरण प्रणाली दुकानों के सम्यक् अनुश्रवण की घोर उपेक्षा की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक एवं अस्वीकार्य है। फलतः मो0 साजिद आलम, आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित उक्त आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया लिया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में मो0 आलम का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर रहेगा ।

3. निलम्बन अवधि में मो0 आलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

12/09/2025

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17/2025– 2366 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/09/25

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण/प्रशाखा पदाधिकारी–03/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा मो0 साजिद आलम, आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (निलंबन अवधि में मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/09/2025

सरकार के संयुक्त सचिव ।